भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2724
मंगलवार, 4 अगस्त, 2026/13 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तरार्थ

बहु-उद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का प्रदर्शन

†2724. **सुश्री कंगना रनौतः**

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, जिन्हें बहु-उद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के रूप में परिवर्तित किया गया है के कामकाज के संबंध में कोई स्वतंत्र मूल्यांकन किया है;

(ख) क्या ऐसी बहु-उद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां भंडारण, आगत आपूर्ति, विपणन और सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) सुविधाओं जैसी अतिरिक्त सेवाएं प्रदान कर रही हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मंडी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित निर्वाचन क्षेत्र-वार और हिमाचल प्रदेश के शेष हिस्सों में ऐसे मूल्यांकन के जिला-वार परिणाम क्या हैं; और

(घ) मंत्रालय द्वारा इनके प्रदर्शन में सुधार के लिए क्या सुधारात्मक उपाय प्रस्तावित किए गए हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) मंत्रालय ने 24 जनवरी 2025 को 'सहकारी रैंकिंग फ्रेमवर्क' शुरू करके राज्य सरकार को इस प्रकार के मूल्यांकन के लिए आवश्यक रूपरेखा उपलब्ध कराई है। इस रूपरेखा में लेखापरीक्षा अनुपालन, वित्तीय प्रदर्शन और परिचालन गतिविधियों सहित मानकीकृत मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जो राज्य के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करने तथा राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में सक्षम बनाते हैं।

अब तक, सहकारिता मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के रूप में कार्यरत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कामकाज के संबंध में कोई स्वतंत्र मूल्यांकन करने पर विचार नहीं किया है।

(ख) जी हाँ, मान्यवर। हिमाचल प्रदेश सहित राज्यों द्वारा अभिसरण रूपरेखा तथा मॉडल उपनियमों को अपनाए जाने के अनुरूप, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित करने

तथा बहुउद्देशीय संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश में 1,191 प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ सामान्य सेवा केंद्रों के रूप में कार्य कर रही हैं और ग्रामीण नागरिकों को 300 से अधिक ई-सेवाएँ प्रदान कर रही हैं। 772 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को गुणवत्तापूर्ण कृषि आदानों की आपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के रूप में उन्नत किया गया है। 8 प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों के रूप में तथा 10 प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ किसान उत्पादक संगठनों के रूप में कार्य कर रही हैं।

इसके अतिरिक्त, स्थानीय उपज के एकत्रीकरण, मूल्य संवर्धन और विपणन को सुगम बनाने के लिए हिमफेड तथा राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियों, अर्थात् राष्ट्रीय सहकारी जैविक उत्पाद लिमिटेड, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

इसके अलावा, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कम्प्यूटरीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित परियोजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में 1,885 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को स्वीकृति दी गई है। 1,789 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में हार्डवेयर स्थापित किया जा चुका है तथा इस उद्देश्य के लिए लगभग ₹41.10 करोड़ की राशि प्राप्त कर उसका उपयोग किया गया है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन संबंधित राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के माध्यम से निरंतर और नियमित रूप से किया जाता है। सहकारी क्षेत्र से संबंधित पहलों के कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा राज्य स्तर पर राज्य सहकारी विकास समिति तथा जिला स्तर पर जिला सहकारी विकास समिति के माध्यम से की जाती है। ये समितियाँ विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने, कार्यान्वयन की निगरानी करने, परिचालन संबंधी बाधाओं की पहचान करने तथा आवश्यक सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करने में सहायक होती हैं।

राज्य सरकार सहकारी समितियों की स्थानीय आवश्यकताओं और समय-समय पर किए जाने वाले कार्य-निष्पादन के आकलन के आधार पर आवश्यकतानुसार सुधारात्मक और उपचारात्मक उपाय करती है।
